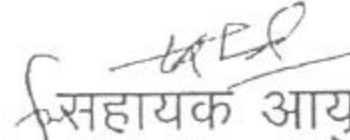


प्रेस विज्ञप्ति

जिले की समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों/ संचालकों को आयुक्त आदिवासी विकास एवं कलेक्टर महोदय के निर्देशों के अनुक्रम में अवगत कराया जाता है, कि MP TAAS पोर्टल पर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति प्राप्त हो, इस हेतु पात्र छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन/आवास सहायता के नवीन/नवीनीकरण के आवेदन संस्था में ही केम्प आयोजित कर निर्धारित तिथि 20 फरवरी के पूर्व भरवाकर पूर्ण कराये, साथ ही वेरीफाईड करें, ताकि जिले की स्थिति में सुधार हो एवं छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति प्राप्त हो। बिलम्ब के लिये संबंधित संस्थाओं का उत्तर दायित्व माना जावेगा।


सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास सागर

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) सागर (म0प्र0)

क0 / पीएमएस/आ0वि0 / 2022-23 / 2230

सागर दिनांक 9/2/2023

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ
डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म0प्र0)

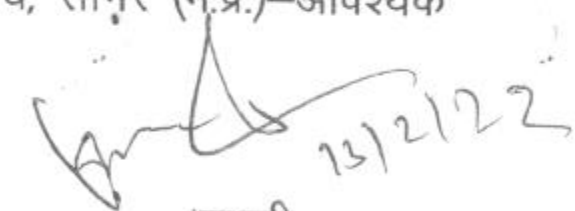
क्रमांक/एस.सी.एस.टी.सेल/2022-23/ 804

दिनांक 13.02.2023

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, (कार्यालय कलेक्टर) जिला-सागर की प्रेस विज्ञप्ति क/पीएमएस/आ.वि/2022-23/2230 दिनांक 09.02.2023 अनुसार MPTAAS पोर्टल पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन/आवास सहायता के नवीन/नवीनीकरण आवेदन निर्धारित तिथि 20 फरवरी 2023 तक पोर्टल पर भरे जायेंगे।

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)- कृपया उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति अनुसार संबंधित वर्ग के विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि के पूर्व छात्रवृत्ति आवेदन भरने हेतु सूचित करने का कष्ट करें।
2. संबंधित संकाय/विभाग कार्यालय के सूचना पटल द्वारा-संबंधित छात्र-छात्राओं के सूचनार्थ प्रेषित।
3. कुलसचिवजी के निज सहायक-सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, (कार्यालय कलेक्टर) जिला- सागर (म.प्र.)- सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट सेल, डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)-आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभारी
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ